


अंचल अधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर ।
जिला-पूर्वी सिंहभूम ।

क्रमांक:- 106

दिनांक:- 31/01/2024

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
जमशेदपुर ।



सेवा में,

विशेष पदाधिकारी,
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर ।

विषय : Plot No. 1298, Khata No. 22, Thana No. 1159, Mouza-भाटिया, जमशेदपुर के भूखण्ड पर श्री विनय कुमार सिंह द्वारा धारित भूमि के सत्यापन के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 3877, दिनांक 23.11.2023 ।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से राजस्व कागजातों के आधार पर जाँच कराया गया । जाँचोपरान्त उनके द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार मौजा-भाटिया, थाना नं०-1159 अन्तर्गत खाता नं०-22, प्लॉट नं०-1298 का बिन्दूवार प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :-

1. भूमि सी.एन.टी. एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत नहीं है ।
2. विषयगत भूमि सरकारी खाते की भूमि नहीं है ।
3. विषयगत भूमि किसी विभाग द्वारा अधिग्रहित या लैण्ड सिलिंग के अन्तर्गत है या नहीं ? इसकी जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।
4. जमाबंदी का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	जमाबंदी रैयत का नाम	भाग-पृष्ठ
1	22	1298	3.4 डिसमिल	Binay Kumar Singh S/o- J K Singh	50-76

5. आवेदित भूमि साविक सर्वे खतियान के अनुसार नरहरि कुम्हार, पिता- स्व० विरवल कुमार के नाम पर दर्ज है तथा किस्म-जमीन धानी-3 है ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विश्वासभाजन

31/01/24

अंचल अधिकारी,
जमशेदपुर ।